भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 71

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशुल्क नैदानिक सेवाएं

***71. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नि:शुल्क नैदानिक सेवा आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;
(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले जैसे देश के जनजातीय जिलों को नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रचार का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश क्या हैं; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

26 जुलाई, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 71 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 'नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। एफडीएसआई का उद्देश्य सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुगम और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला समुदाय के निकट, नि:शुल्क प्रदान करना और इसके जरिए जनजातीय आबादी सहित सभी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

(ग): नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश जुलाई 2015 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए थे। इसके बाद, 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रयोगशाला सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शन संबंधी दस्तावेज जारी किया। अगस्त 2019 में दिशा-निर्देशों को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया। एफडीएसआई के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी टैब के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र https://www.nhsrcindia.org/sites/default/files/2021-07/Guidance document for Free Laboratory Services.pdf लिंक पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

महाराष्ट्र राज्य ने एफडीएसआई कार्यक्रम हाइब्रिड मोड अर्थात इन-हाउस और सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड से कार्यान्वित किया है। राज्य ने पालघर सहित सभी जिलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से आई जांचों को एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड (हिंदलैब्स) को आउटसोर्स किया है।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत ऐसे पर्वतीय/ रेगिस्तानी/ जनजातीय क्षेत्र जहां स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच सीमित है या इनका पूर्ण अभाव है वहां मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) का भी प्रावधान है। एमएमयू में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी औषधियां और नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 एमएमयू तथा जनजातीय/ पर्वतीय/ दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत इस प्रावधान में और छूट देते हुए विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में प्रति जिला 10 एमएमयू का प्रावधान किया गया है।

(घ): एनएचएम के तहत एफडीएसआई कार्यक्रम के लिए विगत तीन वर्षों के लिए अनुमोदित बजट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुमोदित बजट (करोड़ रु. में)
2021-22	1546.88
2022-23	1974.57
2023-24	2004.19

*****